

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (राज.) में स्थित होकर कार्यरत है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अंकित भूतडा पुत्र श्री कमल भूतडा, एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड -प्रार्थी


बनाम

1. श्री हिम्मत लाल शर्मा श्री गेगराज जी शर्मा निवासी 214, केलवा तहसील एवं जिला राजसमन्द - 313324
-ऋणी
2. श्रीमती सरिता देवी पत्नी हिम्मत लाला शर्मा निवासी 759, मादरेचों का मोहल्ला, केलवा तहसील एवं जिला राजसमन्द - 313324
बन्धक सम्पत्ति :- श्रीमती सरिता देवी पट्टा नम्बर 55, बुक नम्बर 52, मिसल नम्बर 46/13 संकल्प नंबर 03(1), ग्राम एवं ग्राम पंचायत केलवा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज)
- सहऋणी एवं बन्धककर्ता
-विपक्षीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 64/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण
दिनांक 10.12.2019	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 19.11.19 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक को भारत के राजपत्र मे दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 18.09.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरी अनुसूची मे बैंक के रूप मे शामिल किया गया। इसे पूर्व में एयू फायनेंसियर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था।</p> <p>विपक्षी संख्या 1 व 2 ने बैंक से दिनांक 31.03.2014 को 300000/- अक्षरे तीन लाख रूपये का ऋण लिया था। विपक्षी संख्या 2 ने सह ऋणी होने से ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्युरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गरवीकृत किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- बन्धक सम्पत्ति:- श्रीमती सरिता देवी पट्टा नम्बर 55, बुक नम्बर 52, मिसल नम्बर 46/13 संकल्प नंबर 03(1), ग्राम एवं ग्राम पंचायत केलवा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द(राज) जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 685.93 वर्गफुट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व -संयुक्त रास्ता(गली), पश्चिम -जगदीश जी पुरोहित का</p>



87

मकान, उत्तर -आम रास्ता, दक्षिण -मदन लाल शर्मा का मकान विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 31.08.2019 को अक्रियान्वित आरिस्ट में वर्गीकृत कर दिया। विपक्षीगण के खाते में बकाया 2,33,172/- अक्षर दो लाख तैतीस हजार एक सौ बहत्तर रुपये दिनांक 29.09.2018 तक शेष व देय निकलते है व दिनांक 29.09.2018 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 29.09.2018 का टिकित नोटिस जो दिनांक 08.10.2018 को विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया है। नोटिस की प्रति संलग्न है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कलम संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

वित्तीय आरिस्टियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :-

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receipt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assets [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]


प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आरिस्टियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 29.09.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांक: 01.12.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आरिस्टियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति:- श्रीमती सरिता देवी पट्टा नम्बर 55, बुक नम्बर 52, मिसल नम्बर 46/13 संकल्प नंबर 03(1), ग्राम एवं ग्राम पंचायत केलवा, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द(राज) जिसमें भवन भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप 685.93 वर्गफुट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ोस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व -संयुक्त रास्ता(गली), पश्चिम -जगदीश जी पुरोहित का मकान, उत्तर -आम रास्ता, दक्षिण -मदन लाल शर्मा का मकान है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

